IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website:http://www.upavp.in E-mail: info@upavp.com

RERA REGISTERED PROJECTS
RERA Website :
https://www.up-rera.in

मेरठ | आगरा | बरेली | वाराणसी | गोरखपुर | कानपुर एवं लखनऊ ज़ोन के

विभिन्न शहरों में परिषद की योजनाओं में परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी

- आवासीय भवन/भूखण्ड
- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड
- शैक्षणिक भूखण्ड
- नर्सिंग होम/अस्पताल भूखण्ड
- व्यावसायिक/होटल भूखण्ड
- संस्थागत भूखण्ड
- प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड एवं अन्य भूखण्ड

ई-नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु QR कोड स्कैन करें।

ई-नीलामी की तिथि
19.02.2026

पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा करने की अवधि
दिनांक 04.02.2026 से 18.02.2026 तक

दिनांक 19.02.2026 को ई-नीलामी में एकल बोली प्राप्त होने की स्थिति में पुन: ई-नीलामी सम्पन्न कराए जाने हेतु कार्ययोजना निम्न अनुसार है:-

नवीन आवेदकों हेतु पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा करने की अवधि
21.02.2026 से 12.03.2026 तक

ई-नीलामी की तिथि
दि. 13.03.2026

लखनऊ की वृन्दावन योजना में **258+ एकड़ क्षेत्रफल में IT/AI इन्फ्रास्ट्रक्चर** हेतु भूखण्ड किफायती दरों पर उपलब्ध

गाजियाबाद में बड़े **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड** भी उपलब्ध

ग्रीनफील्ड टाउनशिप **अयोध्या में होटल, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत व नर्सिंग होम** हेतु भूखण्ड उपलब्ध हैं

ई-नीलामी पोर्टल : https://upavpauction.procure247.com/

विस्तृत जानकारी/अन्य नियम व शर्तों के लिए लॉग-इन करें: www.upavp.in

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

नियम व शर्तें : (1) ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध होगा। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है। (2) मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (3) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (4) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (5) परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जायेंगी। (6) समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 5 वर्षों के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/ समय वृद्धि शुल्क देय होगा। (7) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों पर निर्णय परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन लिया जाएगा। (8) यदि किसी Bidder द्वारा पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पूर्ण टोकन धनराशि जमा नहीं की जाएगी तो संपूर्ण धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803
(किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे) UPHousingBoard uphousingdevboard www.upavp.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS